फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

व अन्य ..... मुकाम अजमेर

मा 88,188 मुकदमा नम्बर 29ए/2013.....सन ..... बनाम दीपचन्द व अन्य .....

	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19	पत्रावली पेश हुई। राजकीय पेरोकार उपस्थित । वकील वादी उपस्थित । राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुति कि दिनांक के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 26.9.2014, 30.7.2015, 26.7.2018, को प्रतिवादीगण 1 व 2 की तलबी हेतु सही पते के नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु वादी/वादी अधिवक्ता को आदेशित किया गया के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किए जाने पर दिनांक 26.9.2014, 30.7.2015, 26.7.2018 को आदेशित किया गया कि प्रतिवादीगण की सही पते के नोटिस पेश करने हेतु बार बार आदेशित किए जाने के उपरान्त पालना नही किए जाने के कारण पुनः पालना हेतु निदेशित किया गया इसके बावजूद भी वादी/वादी अधिवक्ता द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नही की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में वादी का वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पेरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 26.9.2014, 30.7.2015, 26.7.2018 की प्रभावी आदेशिका दिनांक 15.7.2019 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना पत्र को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत प्रार्थी अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः वादी का वाद पत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी अजमेर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.11.20 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested